

हुकम या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज

27/9/2012 चकील जार्जी उपाध्याय।
परिवारी एकतरफा। चकील जार्जी
की सहस्य सुनी गई और दौरान
सहस्य विवेचन किया कि विवाहित
शुभ्रि पर लक्षण आवेश जारी
है रहता है, जो भूलकाद के विवेचन
तक बन्दगी किया जावे।

इसने चकील जार्जी की सहस्य
सुनी और सहस्य पर मनन किया
तथा लक्षणों का विवेचन के परिप्रेक्ष्य
में विवेचन किया। जिसमें पाया कि
जार्जी विवाहित श्रुभ्रि का रिफाईड
आवेषवातेमाल है, और परिवारी/विवाही

पक्ष कावफूद नोतरील लमीली के अडपरेन
इसने पर एकतरफा कार्यवाही अहकाम में
वाहित से सुनी है भूलकाद करियर
वहस्य में चरु रहा है। यह सब

विवाहित संकाद नहीं जो, यह सब
लक्षण आवेश जारी रखने इतनी
जुनीन होता है। लार्ज मैका रिफाईड
को लेकर परकारर के अहकाम आपली
विवाद शरुगे नहीं हवे। ऐसी हरन
में फालेदन नया लकीफर प्रोप है

इतिशया जार्जी का आवेश - ज
रकीफर रिमा न्याकर न्यासाफद इरा


सहायक क्लर्क
(S.D.O.) बालोतरा

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज

प्यारी लमगान आदेश दिनांक 17.6.2024
को मूफवाड के गीरप तक कन्फर्म
कि या जाता है

आदेश सुनाया गया/
उपरोक्त पैमाने कड्याए खोल कर
ले कर तोडर दाखिल करत हैं।


सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा